

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2012
संस्थित दिनांक 08.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

दयाराम पिता मुतरिया भिलाला, आयु 34 वर्ष,
पेशा—खेती व मजदूरी, निवासी—ग्राम मुण्डियापुरा,
थाना अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री के.के.चांदोरे

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 12-08-2016 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 262/2012 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 03.10.2012 को सुबह लगभग 8 बजे फरियादी राजाराम को धारदार उपकरण दांत से काटकर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित करने के कारण भादवि की धारा 324 का आरोप है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादी और आरोपी आपस में सगे भाई हैं तथा यह भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और आरोपी से राजीनामा किए जाने के कारण आरोपी को भादवि की धारा 341, 504 तथा 506(भाग-दो) भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है तथा शेष अपराध धारा 324 भादवि के अपराध में ही यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.10.2012 को प्रातः 8 बजे फरियादी राजाराम अपने खेत ग्राम बांडी में था। फरियादी और उसके दो भाईयों की खेती अलग-2 है, लेकिन एक ही कुंआ है, जिसका वह मिलकर पानी लेते हैं और बिजली के बिल का मिलकर भुगतान करत हैं। आरोपी काफी दिनों से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहा था, उसे बिल भरने का कहा, तो इसी बात को लेकर आरोपी ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौज की और कहा कि बिल भरने का मत कहना, फरियादी समझाने लगा तो उसे बाएं हाथ की भुजा व कलाई के उपर दांत से

काट लिया, उसकी पत्नी सुमनबाई ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने जान से खतम करने की धमकी दी। उसने घटना बंदी और उसकी पत्नी को बताई। फरियादी द्वारा थाना अंजड़ पर घटना की रिपोर्ट की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 262/2012 दर्ज कर फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 324 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसके भाई राजाराम ने उसके विरुद्ध असत्य रिपोर्ट झूठा फंसाने के लिए की है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05— प्रकरण में अब विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 03.10.2012 को सुबह लगभग 8 बजे ग्राम बांडी में फरियादी के खेत पर फरियादी राजाराम को बाएं हाथ की भुजा व कलाई के उपर सख्त एवं धारदार उपकरण दांत से काटकर स्वैच्छ्या साधारण उपहति कारित की ?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी व आहत राजाराम (अ.सा.-1) का कथन है कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की रात लगभग 8 बजे की है, तीनों भाईयों ने खेती पर पानी देने के लिए बिजली का कनेक्शन ले रखा था, जिससका बिल वे तीनों भाई मिलकर भरते थे। घटना वाले दिन उसकी व अभियुक्त की बिल के रूपयों को लेकर बोलचाल हुई और उसका पैर फिसल गया, जिससे गिरने पर उसे बाएं हाथ की भुजा व कलाई पर चोट आई, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना अंजड़ पर प्रपी-1 की की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और उसकी निशांदेही से पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-2 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके हाथ पर दांत से काट लिया था, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने प्रपी-1 की रिपोर्ट तथा प्रपी-3 के कथन में भी अभियुक्त द्वारा दांत से काटने की बात लिखाने से स्पष्ट इन्कार किया है। साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

07— अभियोजन साक्षी बद्री (अ.सा.—2) ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्ष द्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि, पुलिस को प्रपी-4 का कथन देने से भी इन्कार किया है।

08— अभियोजन साक्षी दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.—3) का कथन है कि दिनांक 03.10.2012 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 262/2012 की केस डायरी की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजाराम व साक्षी बद्री व सुमनबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे और विवेचना पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी को सुपुर्द की थी। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिए थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

09— प्रकरण में राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी/आहत स्वयं पक्ष विरोधी रहा है और उसने अभियुक्त द्वारा उसके बाएं हाथ की भुजा व कलाई के उपर दांत से काटकर उपहति कारित करने के बारे में कोई कथन नहीं किए गए हैं, बल्कि मुख्य परीक्षण में ही स्वयं के गिर जाने से चोट आने बाबत कथन न्यायालय में किए हैं, ऐसी स्थिति में, जबकि स्वयं फरियादी/आहत राजाराम (अ.सा.—1) ने ही व साक्षी बद्री (अ.सा.—2) ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्त के विरुद्ध उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

10— अतः अभियुक्त दयाराम पिता मुतरिया भिलाला, आयु 34 वर्ष, पेशा—खेती व मजदूरी, निवासी ग्राम मुण्डियापुरा, थाना अंजड़, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

13— प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.